पंजीकरण पुस्तिका

अयोध्या विकास प्राधिकरण

अयोध्या विकास प्राधिकरण
AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY

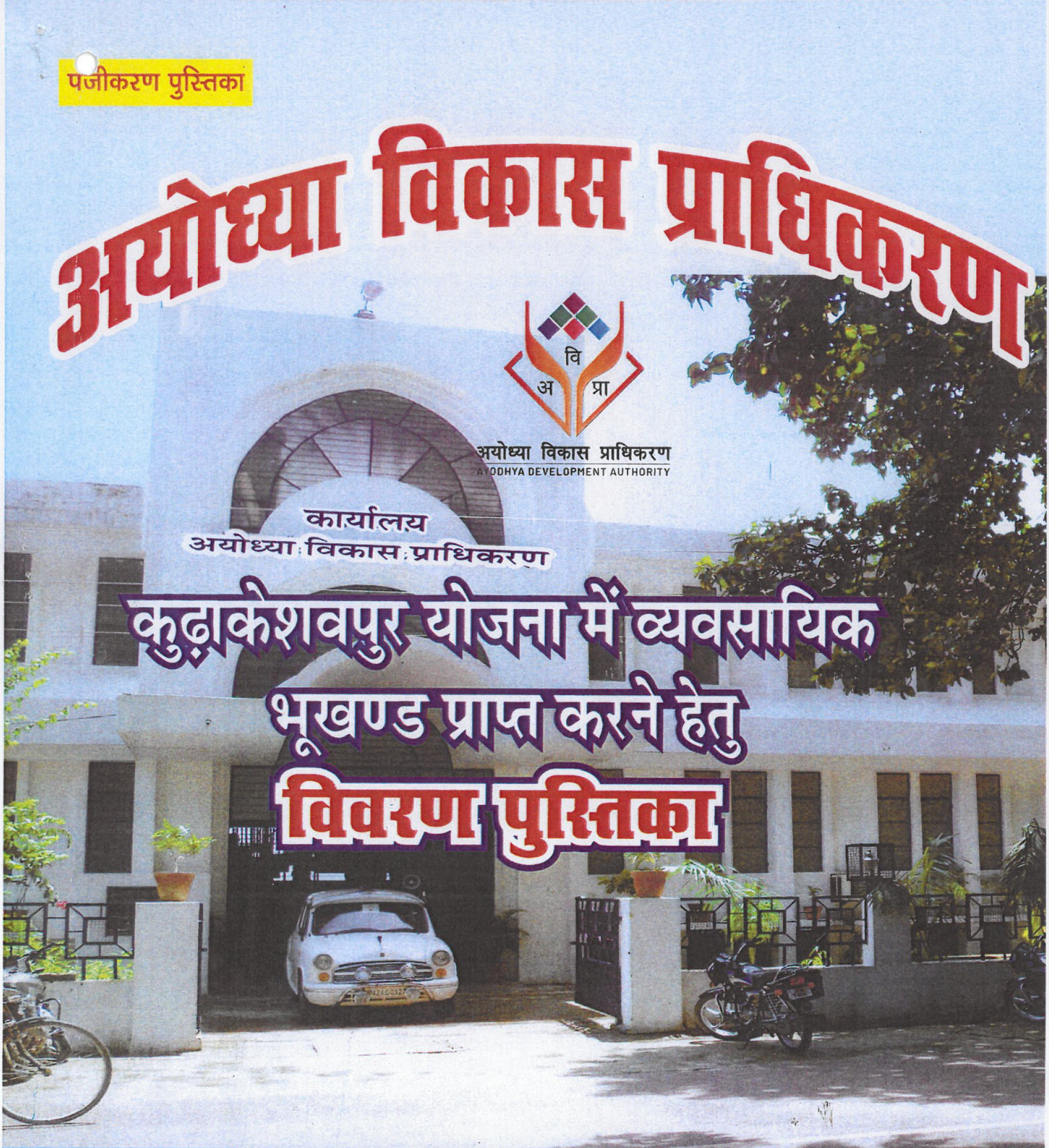

कुढ़ाकेशवपुर योजना में व्यवसायिक भूखण्ड प्राप्त करने हेतु

विवरण पुस्तिका

अयोध्या विकास प्राधिकरण
AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY

अयोध्या विकास प्राधिकरण

परिक्रमा मार्ग, सिविल लाइन्स, अयोध्या

पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएं

1. पंजीकरण

1.1 योजना का नाम : कुढ़ाकेशवपुर व्यवसायिक भूखण्ड दर्शन नगर अयोध्या

1.2 पंजीकरण हेतु पात्रता –

- आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, किन्तु अप्रवासी भारतीय भी आवेदन कर सकते हैं।

1.3 पंजीकरण सम्बन्धी नियम–

- पंजीकरण हेतु आवेदक एकल या संयुक्त नामों (पति एवं पत्नी) से किया जा सकता है। परन्तु विक्रय विलेख का पंजीकरण शासनादेश के अनुसार ही किया जायेगा।
- पंजीकृत आवेदक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निर्धारित समयावधि में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों के भलीभाँति परीक्षणोपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को पंजीकृत करते हुए आवंटन उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा नीलामी प्रक्रिया से किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों को निविदा सह नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जायेगा।
- किसी भी नीलामी एवं पंजीकरण पुस्तिका में त्रुटि को किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार उपाध्यक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या में निहित है।
- नीलामी/बोली को बिना कारण बताएं निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या में निहित होगा।
- किसी भी प्रकार की लिपिकीय एवं प्रिंटिंग त्रुटि संशोधनीय होगी।
- नियमानुसार आरक्षण का पालन किया जायेगा।
- सम्पत्तियों का आवंटन ''जहां जैसे है'' के आधार पर किया जायेगा।

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

द्वारा विकसित **कुढ़ाकेशवपुर व्यवसायिक भूखण्ड** प्राप्त करने का **सुनहरा अवसर**

पंजीकरण अवधि- दिनांक 21.08.2023 से दिनांक 11.09.2023 तक

सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	अनुमानित मूल्य Base Price (करोड़ में)	पंजीकरण/ धरोहर धनराशि (करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1	कुढ़ाकेशवपुर भूखण्ड (30 मीटर चौड़ी सड़क पर चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित)	गाटा सं0 228 229 एवं 230	3930.00	11.91 करोड़	1.19 करोड़

नीलामी पद्धति से विक्रय प्रक्रिया :-

- ❖ सम्पत्ति का आवंटन नीलामी के आधार पर किया जायेगा। आवंटन की नीला 19.09.2023 को पूर्वान्ह 11:00 बजे अयोध्या विकास प्राधिकरण कार्यालय के सभाग में होगी।।
- ❖ उच्चतम बोली की धनराशि का 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड चार्ज भूमि मूल्य का अलग से देय होगा।
- ❖ आन लाइन आवेदन के लिए www.janhit.upda.in पर लागिंग कर सकते हैं।
- ❖ अन्य जानकारी हेतु किसी भी कार्यालय दिवस में प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति से सम्पर्क कर सक हैं तथा प्राधिकरण की वेबसाइट www.ayodhyada.in पर भी प्राप्त की जा सकती है।
- ❖ सम्पत्ति का आवंटन नीलामी द्वारा 'जहां है जैसे है' के आधार पर किया जायेगा। किसी भी टंक की त्रुटि संशोधनीय होगी।
- ❖ उपाध्यक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा किसी भी मामले में दिया गया निर्ण अन्तिम एवं आवेदक/आवंटी मान्य होगा।
- ❖ नीलामी में उच्चतम बोलीदाता द्वारा अपनी बोली वापस लेने पर धरोहर धनराशि का 2 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- ❖ धरोहर धनराशि अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या के खाता सं. 116601010000132 IFSC-PUNB0612900 में जमा की जा सकती है।
- ❖ सफल बोली दाता को अधिकतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि आवंटन प निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। जिसमें जमा धरोहर धनरा समायोजित होगी।
- ❖ शेष धनराशि 90 दिन में जमा करनी होगी।

अयोध्या विकास प्राधिकरण
AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY

- नीलामी प्रक्रिया में वही आवेदक भाग ले सकेंगे जो प्रतिभूति की धनराशि का ड्राफ्ट/NEFT नीलामी से पूर्व जमा कराकर टोकन प्राप्त करेंगे।
- आवेदक को नीलमी में भाग लेने हेतु अपना पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति साथ लानी अनिवार्य होगी।

पात्रता एवं शर्तें :-

- पंजीकरण पुस्तिका रू0-1000/- (जी.एस.टी. सहित) का नगद भुगतान कर दिनांक 21.08.2023 से दिनांक 11.09.2023 तक पंजाब नेशनल बैंक अयोध्या विकास प्राधिकरण सिविल लाइन्स अयोध्या से प्राप्त की जा सकती है।
- 12 प्रतिशत फ्री होल्ड चार्ज भूमि मूल्य का अलग से देय होगा।
- पंजीकरण धनराशि जमा करते समय पंजीकरण चालान एवं आवेदन फार्म में योजना का नाम तथा श्रेणी एवं मोबाइल नं0 अंकित किया जाना अनिवार्य होगा/अन्यथा नीलामी पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. पंजीकरण/धरोहर धनराशि

3.1 पंजीकरण धनराशि का भुगतान आवेदन पत्र के साथ, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर जो (फैजाबाद) अयोध्या में भुगतान योग्य हो, चेक द्वारा धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी। RTGS तथा ड्राफ्ट की धनराशि प्राधिकरण खाते में जमा धनराशि को ही जमा पंजीकरण माना जायेगा।

3.2 नीलामी तिथि से पूर्व आवेदक द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र देकर पंजीकरण/धरोहर धनराशि वापस ली जा सकती है।ऐसी स्थिति में भी पंजीकरण/धरोहर धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3.3 व्यवसायिक सम्पत्ति आवंटन के पश्चात,न लेने की दशा में जमा धरोहर धनराशि का 25 प्रतिशत जब्त कर ली जायेगी।

4 आरक्षण.

4.1 आरक्षण लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

5. आवंटन प्रक्रिया

5.1 सम्पत्ति का आवंटन उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जनसामान्य के समक्ष नीलामी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

5.2 सफल पंजीकृत आवेदकों की सूची सार्वजनिक रूप से विकास प्राधिकरण कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।

5.3 सम्पत्ति का आवंटन फ्री होल्ड सम्पत्ति के रूप में किया जायेगा। फ्री होल्ड शुल्क भूमि मूल्य का 12% अलग से देना होगा।

5.4 सम्पत्ति आवंटन के पश्चात देय धनराशि समय से न जमा करने पर प्राधिकरण के अनुसार दण्ड ब्याज देय होगा।

6.1 सम्पत्ति का आवंटन नीलामी द्वारा किया जायेगा। सफल आवेदक को अधिकतम बोली की धनराशि का 25% धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। जिसमें धरोहर धनराशि सम्मिलित होगी।

6.2 शेष धनराशि व्यवसायिक सम्पत्ति हेतु 90 दिनों में जमा करना होगा। 90 दिनों के बाद विलम्ब की दशा में 18 प्रतिशत ब्याज धनराशि का, अधिकतम 3 माह तक, अलग से देय होगा। परन्तु सम्पत्ति का कब्जा रजिस्ट्री के पश्चात ही दिया जायेगा।

6.3 व्यवसायिक सम्पत्ति में आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात निर्धारित तिथि तक वांछित धनराशि का भुगतान न किये जाने की दशा में आवंटन निरस्त करने पर विचार करते हुए जमा सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

7. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि वापसी की प्रक्रिया :

7.1 नीलामी में असफल आवेदकों को उनके द्वारा जमा पंजीकरण/धरोहर धनराशि की वापसी आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि के एक माह के अन्दर सम्बन्धित के द्वारा आवेदन फार्म पर अंकित बैंक खाते में धनराशि बैंक के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। आवेदन फार्म में बैंक एवं खाता सं. आदि त्रुटि पूर्ण प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

7.2 चालान फार्म/आवेदन फार्म पर निर्धारित स्थान पर अपना सम्पर्क दूरभाष नम्बर अवश्य अंकित करें।

8. **शपथ पत्र**

8.1 प्रत्येक आवेदक को विवरण पुस्तिका के साथ संलग्न पृष्ठ संख्या 9 पर अंकित निर्धारित प्रारूप में 10 रूपये मूल्य के नान–जुडिशियल स्टाम्प पर, जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो, आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

9. **आवंटित सम्पत्ति ऋणदायी संस्था के पक्ष में बन्धक रखने का प्राविधान :**

9.1 आवंटी को आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड को अयोध्या विकास प्राधिकारण की पूर्वानुमति प्राप्त करके ऋणदायी संस्था के पक्ष में बन्धक रखने का अधिकार होगा।

10. **रजिस्ट्री एवं फ्री होल्ड शुल्क :**

10.1 प्राधिकरण द्वारा आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड की रजिस्ट्री फ्री होल्ड सम्पत्ति के रूप में शासन द्वारा निर्धारित स्टैम्प ड्यूटी अदा करने पर की जायेगी। आवंटी को समस्त मूल्य, अन्य देय शुल्क एवं फ्री होल्ड शुल्क जमा करने के पश्चात स्वयं के खर्चे पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित कराना होगा।

11. **आवंटित सम्पत्ति का कब्जा :**

11.1 रजिस्ट्री निष्पादन के उपरान्त आवंटी को व्यवसायिक भूखण्ड का भौतिक कब्जा स्थल पर प्राप्त कराया जायेगा।

13. **करों की देयता :**

12.1 आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड के कब्जा लेने की तिथि से स्थानीय निकाय अथवा शासन द्वारा जारी नियम एवं उप नियम के अन्तर्गत समय–समय पर लगाये जाने वाले समस्त प्रकार के करों का एवं उपकरों तथा जी.एस.टी. भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा।

12.2 सम्पत्ति के मूल्य के अतिरिक्त जी.एस.टी. एवं अन्य कर तथा उपकरों की देयता आवंटी की होगी।

13. **आवेदक /आवंटी के मृत्यु की दशा में :**

13.1 पंजीकृत आवेदक/आवंटी की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में जिलाधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र एवं अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति पत्र, शपथ सहित प्रस्तुत करने एवं कोई आपत्ति आने पर उसके वैधानिक निस्तारण उपरान्त ही पंजीकरण/आवंटन उसके नाम से परिवर्तित किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण की समस्त शर्तो को पूरा किया जाता है।

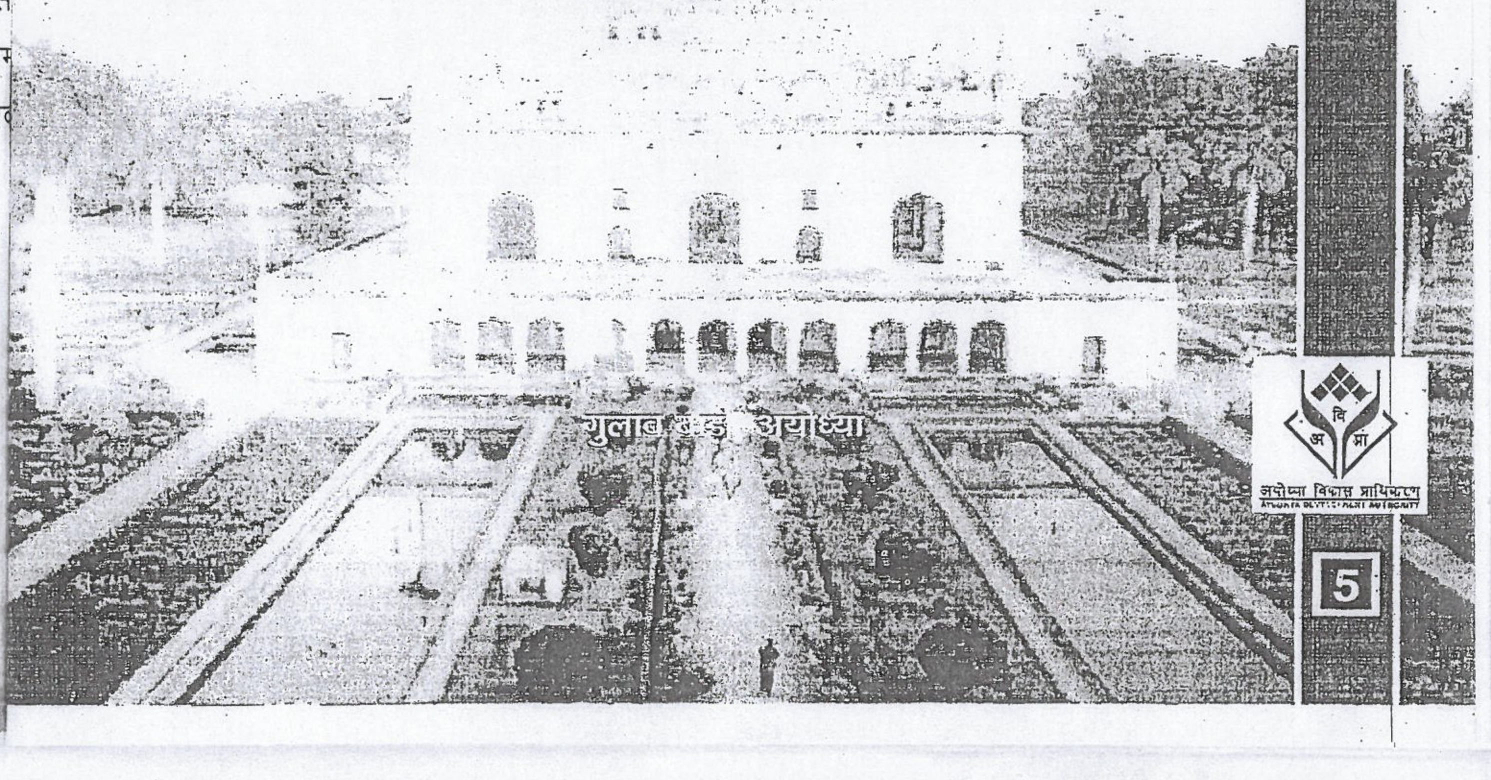

गुलाब बाड़ी अयोध्या

मुख्य परिभाषायें –

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये हैं, जहाँ–जहाँ के उपयुक्त किये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे।

आवेदक का परिवार –

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय :

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

सम्पत्ति :

सम्पत्ति का तात्पर्य निर्मित व्यवसायिक भूखण्ड से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना) :

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विभिन्न श्रेणियों की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अवधि तथा तिथि से है, इसलिए विभिन्न चरणों के लिए भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण पुस्तिका में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर :

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :

उ.प्र. राज्य की सेवा में तथा उ.प्र. राज्य के अधीन निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

विस्थापित व्यक्ति :

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि/भवन अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गयी हो।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :

1. जो उत्तर प्रदेश का मूलवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबन्दी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम 10 बेतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो या जिसने वीरगति प्राप्त की हो और इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
2. जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहें हों।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा निर्दिष्ट शासनादेश के अन्तर्गत आने वाली जातियों से है।

अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ0प्र0 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 अधिनियम संख्या 4, सन् 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़े वर्ग में क्रीमीलेयर का निर्धारण शासनादेश सं. 1381/सी.एम. /9–आ–5–18 मिस./88 दिनांक 23 नवम्बर, 1994 आवास अनुभाग–5 द्वारा जारी शासनादेश एवं विधायी अनुभाग–1 द्वारा जारी शासनादेश सं. 488/सत्रह–वि. –1–1(क)6–1994 दिनांक 23 मार्च, 1994 एवं कार्मिक अनुभाग–2 उ.प्र. सरकार द्वारा जारी शासनादेश सं. 22/16/92 टी.सी.–III दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 में प्राविधानित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

प्राधिकरण, नगर निगम, जल संस्थान, उ.प्र. हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी का तात्पर्य :

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या/उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत/ अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारी/अधिकारी तथा नगर निगम एवं नगर पालिका तथा जल संस्थान उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी से है।

शासनादेश सं0 138CM/9–आ–5–94–18मिस/88 दिनांक 23.11.94 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि यदि आरक्षित वर्ग पंजीकरण व्यक्तियों की संख्या उनके लिये आरक्षित व्यवसायिक दुकान/भूखण्ड/सम्पत्ति की संख्या से कम होती है तो ऐसी आरक्षित सम्पत्तियों को सामान्य श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित कर दिया जायेगा।

पंजीकरण आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक अनुदेश –

1. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अपना नाम एवं पता पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए, अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण भरे गये आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।
2. शासनादेश के अनुक्रम में सम्पत्ति का निबन्धन पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम से किये जाने की व्यवस्था है। अतः पति, पत्नी द्वारा संयुक्त नामों से आवेदन किया जा सकता है।
3. पति एवं पत्नी द्वारा संयुक्त नामों से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों के अतिरिक्त अन्य संयुक्त नाम से किये गये आवदेन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों में दोनों आवेदकों के पासपोर्ट साइज के चित्र एवं दोनों के हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।
4. आरक्षण लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकरण पुस्तिका में अकित किये गये बिभिन्न श्रेणी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
5. आवेदक की सुविधा हेतु आवेदन पत्र को दो प्रतियों में संलग्न किया गया है, जिसकी एक ही प्रति जमा करें एवं दूसरी प्रति पंजीकरण पुस्तिका के साथ सुरक्षित रखें।
6. आवेदक को पत्र व्यवहार का पता बदलने की स्थिति में तत्काल प्राधिकरण को लिखित रूप से सूचित करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना पूरा नाम, पता एवं आवेदन पत्र का क्रमांक अंकित किया जाना चाहिए।
8. पंजीकरण /आवंटन/निबन्धन आदि के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी प्राविधानों/निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। यदि पंजीकरण पुस्तिका में किसी विषय पर विवरण अथवा प्राविधान अंकित नहीं है तो वर्तमान में लागू शासनादेश के प्राविधान लागू होंगे।
9. निर्धारित प्रारूप पर नियत अवधि के अन्दर पी.एन.बी. शाखा अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या से फार्म प्राप्त करें एवं आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। विलम्ब से जमा एवं अपूर्ण प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(डा0 महेन्द्र कुमार सिंह)	(सत्येन्द्र सिंह)	(विशाल सिंह)
प्रभारी सम्पत्ति	सचिव	उपाध्यक्ष
अ0वि0प्रा0	अ0वि0प्रा0	अ0वि0प्रा0
अयोध्या।	अयोध्या।	अयोध्या।

पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदक–1)	पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदक–2)

अयोध्या विकास प्राधिकरण
AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY

अयोध्या विकास प्राधिकरण

परिक्रमा मार्ग, सिविल लाइन्स, अयोध्या

फोन : 05278-223969, 223460

बेवसाइट : www.ayodhyaada.in, फैक्स : 05278-220110

ई-मेल : vcafda@gmail.com, secy_afda@rediffmail.com

शपथ–पत्र का प्रारूप

(शपथ–पत्र रू0 10/– के जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो)

हम/हम श्री/श्रीमती/ ....

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री:...आयु....................वर्ष निवासी ....

....शपथपूर्वक यह बयान करता/करती

हूँ/करते हैं कि–

मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।

यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसके निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगे।

मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगे। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

आवेदन पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये है वे सत्य है।

मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में बैंक खाता सम्बन्धी जो विवरण दिया गया है, जो कम से कम दो वर्ष तक मान्य रहेगा।

यदि ये घोषणाएं भविष्य में असत्य पायी जाये तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित सम्पत्ति निरस्त कर दें तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर लें। यदि सम्पत्ति की रजिस्ट्री हो गयी तो भी इस मिथ्या निरूपण के कारण जुर्माने/दण्ड स्वरूप रजिस्ट्रीकृत सम्पत्ति के मूल्य के बराबर धनराशि भू–राजस्व की भांति मुझसे वसूल कर ली जाये।

शपथी

अयोध्या विकास प्राधिकरण

आवेदक की प्रति

परिक्रमा मार्ग, सिविल लाइन्स, अयोध्या (उ.प्र.)

पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

पंजीकरण फार्म संख्या : 50

संयुक्त आवंटन हेतु	
आवेदक की फोटो स्वप्रमाणित	आवेदक की फोटो स्वप्रमाणित

1. योजना का नाम ....
2. पंजीकरण धनराशि का भुगतान ....
3. व्यवसायिक भूखण्ड ....
4. आवेदक का नाम ....
5. पिता/पति का नाम ....
6. संयुक्त आवेदक का नाम ....
7. पिता/पति का नाम ....
8. पत्र व्यवहार का पता .... स्थायी पता ....

   ....

   ....

   मो./टेलीफोन ....

   पिन कोड ☐☐☐☐☐☐ पिन कोड ☐☐☐☐☐☐

9. आयु वर्ष ☐☐ लिंग ☐☐
10. आरक्षण श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें) ....

    अन्यथा आरक्षण मान्य नहीं होगा।

11. जाति .... 12. व्यवसाय .... 13. वार्षिक आय ....
14. आवेदक अपना पैन नं. .... इंगित करे एवं छायाप्रति संलग्न करें।

15. आवेदक/आवेदकों को अपना पहचान सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा। (मददाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशनकार्ड अथवा संस्था द्वारा जारी पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि)

16. पंजीकरण धनराशि (अंकों में) रूपये | | | | | |

17. पंजीकरण धनराशि (शब्दों में) रूपये ....

18. बैंक शाखा का नाम जहाँ आवेदन पत्र जमा किया जा रहा है– ....

19. बैंक ड्राफ्ट का विवरण : ड्राफ्ट नम्बर/दिनांक ....

20. ड्राफ्ट जारीकर्ता बैंक का नाम तथा शाखा ....

21. नामित सदस्यों का विवरण

नाम आयु

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

22. आवेदक को सम्पत्ति आवंटन न होने की दशा में जमा पंजीकरण धनराशि की वापसी का बैंक विवरण–

1. खाताधारक का नाम ....
2. खाता संख्या ....
3. बैंक का नाम (शाखा) .... जिला ....
4. खाते का प्रकार .... सेविंग/चालू/अन्य ....
5. आवेदक अपना एक कैन्सिल्ड चेक की छाया प्रति लगाना अनिवार्य है।
6. आई.एफ.सी. कोड व बैंक खाता नं0 ....

घोषणा

(क) मैं/हम एतद्द्वारा यहा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने पंजीकरण सम्बन्धी सभी नियम एवं शर्तो को पूर्ण रूप से समझ लिया है जो मुझे/हमें मान्य है।

(ख) उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी/हमारी जानकारी में सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई तथ्य अथवा सूचना असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो प्राधिकरण को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

1 ....

2 ....

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

(कृपया पूर्ण हस्ताक्षर करें)

स्थान :

दिनांक :

अयोध्या विकास प्राधिकरण

जमा करने की प्रति

परिक्रमा मार्ग, सिविल लाइन्स, अयोध्या (उ.प्र.)

पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

पंजीकरण फार्म संख्या : 50

संयुक्त आवंटन हेतु	
आवेदक की फोटो स्वप्रमाणित	आवेदक की फोटो स्वप्रमाणित

1. योजना का नाम ....
2. पंजीकरण धनराशि का भुगतान ....
3. व्यवसायिक भूखण्ड ....
4. आवेदक का नाम ....
5. पिता/पति का नाम ....
6. संयुक्त आवेदक का नाम ....
7. पिता/पति का नाम ....
8. पत्र व्यवहार का पता .... स्थायी पता ....

   ....

   ....

   मो./टेलीफोन ....

   पिन कोड ☐☐☐☐☐☐ पिन कोड ☐☐☐☐☐☐

9. आयु वर्ष ☐☐ लिंग ☐☐
10. आरक्षण श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें) ....

    अन्यथा आरक्षण मान्य नहीं होगा।
11. जाति.............................12. व्यवसाय .... 13. वार्षिक आय ....
14. आवेदक अपना पैन नं. ....इंगित करे एवं छायाप्रति संलग्न करें।

15. आवेदक/आवेदकों को अपना पहचान सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। (मददाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशनकार्ड अथवा संस्था द्वारा जारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि)

16. पंजीकरण धनराशि (अंकों में) रूपये | | | | | | |

17. पंजीकरण धनराशि (शब्दों में) रूपये ....

18. बैंक शाखा का नाम जहाँ आवेदन पत्र जमा किया जा रहा है– ....

19. बैंक ड्राफ्ट का विवरण : ड्राफ्ट नम्बर/दिनांक ....

20. ड्राफ्ट जारीकर्ता बैंक का नाम तथा शाखा ....

21. नामित सदस्यों का विवरण

नाम	आयु	सम्बन्ध
1.	....	....
2.	....	....
3.	....	....
4.	....	....

22. आवेदक को सम्पत्ति आवंटन न होने की दशा में जमा पंजीकरण धनराशि की वापसी हेतु आवेदक का बैंक विवरण–

1. खाताधारक का नाम ....
2. खाता संख्या ....
3. बैंक का नाम (शाखा) ....जिला ....प्रदेश ....
4. खाते का प्रकार ....सेविंग/चालू/अन्य ....
5. आवेदक अपना एक कैन्सिल्ड चेक की छाया प्रति लगाना अनिवार्य है।
6. आई.एफ.सी. कोड व बैंक खाता नं0 ....लिखें।

घोषणा

(क) मैं/हम एतद्द्वारा यहा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने पंजीकरण सम्बन्धी सभी नियम एवं शर्तो को पूर्ण रूप से समझ लिया है जो मुझे/हमें मान्य है।

(ख) उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी/हमारी जानकारी में सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई तथ्य अथवा सूचना असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो प्राधिकरण को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

1 ....

2 ....

स्थान :

दिनांक :

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

(कृपया पूर्ण हस्ताक्षर करें)

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदक की प्रति

चीलान नं. ....50........

दिनांक........................

बैंक का नाम..

....

कम्प्यूटर पंजीकरण सं. ....

1. आवेदक का नाम...

2. पता...

....

मोबाईल नं. :...

सम्पत्ति का विवरण

3. योजना का नाम............................श्रेणी...................

मद का विवरण	मद सं.	किश्त की राशि एवं संख्या	सम्पूर्ण देय राशि रु.	पै.
धरोहर धनराशि				
		योग		

कुल योग (शब्दों में) ....

....

हस्ताक्षर जमाकर्ता हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

मद सं. एवं मद का विवरण पृष्ठ भाग के अनुसार ही भरें। यदि किसी मामले में वाद न्यायालय में विचाराधीन है तथा धनराशि की वसूली नहीं की जानी है अन्यथा भवन/भूखण्ड का आवंटन निरस्त होने आदि के कारण धनराशि प्राधिकरण द्वारा जमा नहीं करायी जानी है तो मात्र इस चालान के माध्यम से धनराशि जमा करने से वाद पर कोई प्रतिकूल प्रभाव प्राधिकरण के हितों के विरूद्ध नहीं पड़ेगा।

केवल बैंक प्रयोगार्थ तिथि.........................

धनराशि प्राप्त कर ली गयी है।

प्रबन्धक
बैंक की मोहर

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

बैंक की प्रति

चालान नं. ....50......

दिनांक........................

बैंक का नाम..

....

कम्प्यूटर पंजीकरण सं. ....

1. आवेदक का नाम...

2. पता...

....

मोबाईल नं. ....

सम्पत्ति का विवरण

3. योजना का नाम............................श्रेणी...................

मद का विवरण	मद सं.	किश्त की राशि एवं संख्या	सम्पूर्ण देय राशि रु.	पै.
धरोहर धनराशि				
		योग		

कुल योग (शब्दों में) ....

....

हस्ताक्षर जमाकर्ता हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

मद सं. एवं मद का विवरण पृष्ठ भाग के अनुसार ही भरें। यदि किसी मामले में वाद न्यायालय में विचाराधीन है तथा धनराशि की वसूली नहीं की जानी है अन्यथा भवन/भूखण्ड का आवंटन निरस्त होने आदि के कारण धनराशि प्राधिकरण द्वारा जमा नहीं करायी जानी है तो मात्र इस चालान के माध्यम से धनराशि जमा करने से वाद पर कोई प्रतिकूल प्रभाव प्राधिकरण के हितों के विरूद्ध नहीं पड़ेगा।

केवल बैंक प्रयोगार्थ तिथि.........................

धनराशि प्राप्त कर ली गयी है।

प्रबन्धक
बैंक की मोहर